सर्वोच्च प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 9/2025/I/1130441/2025-02-5099/165/2025

प्रेषक,

एम. देवराज
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 31-10-2025

विषयः- Monitoring Cell of Family Courts की बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत ही हैं कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शा0सं0-314/न्याय-2-2021-28जी/2021 दिनांक 31-03-2021 **(प्रति संलग्न)** द्वारा जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित Monitoring Cell की बैठक के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के अतिरिक्त मा0 न्यायालय के परिपत्र पत्र सं0-05/एडमिन-जी-।। दिनांक 29-01-2022 की प्रति संलग्न करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की ओर से निर्गत शासनादेश सं0-93/सात-न्याय-2-2022-211जी/91 दिनांक 22-02-2022 **(प्रति संलग्न)** द्वारा जिला स्तर पर गठित मानीटरिंग सेल से पृथक प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के **परिवार न्यायालयों के लिए Monitoring Cell का गठन** किया गया है, जिसमें संबंधित जनपद के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहित जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हैं। साथ ही कतिपय अन्य निर्देश भी उक्त शासनादेश दिनांक 22-02-2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए व साथ ही मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 22-02-2022 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में बैठक के कार्यवृत्त की प्रति समयबद्ध रूप से (07 दिवस में) मा0 समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व शासन के संबंधित विभागों को भी उपलब्ध कराया जाना कृपया सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(एम.देवराज)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक यथोक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- Registrar General, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- Registrar (J) (Digitization), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश)
8- विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) को उनके पत्र संख्या-969/सात-न्याय-2-2025-09जी/2024 दिनांक 09-10-2025 के क्रम में।
9- गार्ड बुक/सं0स0अ0 को shasnadesh.up.gov.in पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सर्वोच्च प्राथमिकता/ अति महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

प्रेषक,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 31-10-2025

विषयः- **Monitoring Cell of Family Courts की बैठक में व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किये जाने के संबंध में ।**

महोदया/ महोदय,

कृपया अवगत ही हैं कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शा0सं0-314/न्याय-2- 2021-28जी /2021 दिनांक 31-03-2021 ***(प्रति संलग्न)*** द्वारा जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित Monitoring Cell की बैठक के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के अतिरिक्त मा0 न्यायालय के परिपत्र पत्र सं0-05/एडमिन-जी-II दिनांक 29-01-2022 की प्रति संलग्न करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत शासनादेश सं0-93/सात-न्याय-2-2022-211जी /91 दिनांक 22-02-2022 ***(प्रति संलग्न)*** द्वारा जिला स्तर पर गठित मानीटरिंग सेल से पृथक प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के **परिवार न्यायालयों के लिए Monitoring Cell का गठन** किया गया है जिसमें संबंधित जनपद के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सहित जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्गित रूप से सम्मिलित हैं। साथ ही कतिपय अन्य निर्देश भी उक्त शासनादेश दिनांक 22-02-2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए व साथ ही मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 22-02-2022 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में बैठक के कार्यवृत्त की प्रति समयबद्ध रूप से (07 दिवस में) मा0समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व शासन के संबंधित विभागों को भी उपलब्ध कराया जाना कृपया सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by M DEVARAJ
Date: 31-10-2025 20:28:05

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. Registrar General, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. Registrar (J) (Digitization) , मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश। (द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश)
8. विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) को उनके पत्र संख्या-969/सात-न्याय-2-2025-09जी/2024 दिनांक 09-10-2025 के क्रम में।
9. गार्ड बुक/ सं0स0अ0 को shasnadesh.up.gov.in पर अपलोड हेतु।

आज्ञा

से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–314/न्याय–2–2021–28 जी/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक/
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/
जिला शासकीय अधिवक्ता/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/
अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग/संयुक्त निदेशक अभियोजन,
उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2021

विषयः–जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित मानीटरिंग सेल की मासिक बैठक में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध के लम्बित अभियोजनों के त्वरित निस्तारण विषयक एजेण्डे को शामिल करने एवं बैठक के प्रभावी संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, गृह के पत्र संख्या–229/6–पु0–15/ 2021, दिनांक 21.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में दिनांक 22.02.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष 'मिशन शक्ति' हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण में प्रमुख सचिव, महोदय द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2. तदक्रम में उच्चादेश निर्गत किये गये कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों से संबंधित अभियोजनों के तीव्र निस्तारण हेतु विशेष एवं प्रभावी प्रयास किये जायें, जिससे कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। तदक्रम में जनपद स्तर पर गठित मानीटरिंग सेल को प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु तत्काल निर्देश निर्गत किये जायें।

3. उल्लेखनीय है कि न्याय विभाग के पत्र संख्या–5800/सात–न्याय–2– 211जी/92, दिनांक 02.12.1992 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–3982/सात–न्याय–2–64जी/94, दिनांक 28.12.1993 के द्वारा प्रदेश में फौजदारी मामलों में त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत तथा उनके संबंध में होने वाले अप्रत्याशित विलम्ब के कारणों का विश्लेषण कर उनके निवारण के उपाय खोजने तथा सुझाव एवं संस्तुतियां देने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर मानीटरिंग सेल/समितियों का नियमित आयोजन में संबंधित जिलाधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है।

4. अतः उक्त के संबंध में प्रस्तर–2 के निर्देशों को मानीटरिंग सेल की मासिक बैठक में एजेण्डे के रूप में शामिल करने के अनुरोध के साथ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:–

(i) जिला मानीटरिंग सेल की मासिक बैठक में एजेण्डे के रूप में शामिल करते हुए महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराध के लम्बित अभियोजनों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक मासिक बैठक में सफल एवं प्रभावी विचार–विमर्श किया जायेगा।

(ii) जिला मानीटरिंग सेल की मासिक बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का कोई प्रतिस्थानी नहीं होगा। यदि अपरिहार्य स्थिति में जिलाधिकारी अथवा पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जेल अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/जिला शासकीय अधिवक्ता/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग/संयुक्त निदेशक अभियोजन, नियत तिथि को मानीटरिंग सेल की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु उपलब्ध नहीं है तो उक्त संबंधित अधिकारी जनपद न्यायाधीश को समय से सूचित करते हुए तथा समवन्य स्थापित करते हुए अग्रिम तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध करेंगे।

(iii) जिला मानीटरिंग सेल में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी मासिक बैठक के उद्देश्य को पूर्ण करने में विशेष रूचि लेंगे तथा मासिक बैठक में सम्मिलित होना उनका व्यक्तिगत दायित्व होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

...2

संख्या–314(1)/न्याय–2–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 21.02.2021 के संदर्भ में।

S.narayan
05/03/2021

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव–।।)
प्रमुख सचिव।

संख्या-93/सात-न्याय-2-2022-211 जी/91

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊः दिनांक 22 फरवरी, 2022

विषयः-प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के परिवार न्यायालयों के लिए मॉनीटिरिंग सेल के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सी0एल0नं0-5/ एडमिन0जी-।।, दिनांक 29.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त पत्र दिनांक 29.01.2022 में की गयी अपेक्षा के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

(1) जिला स्तर पर गठित मॉनीटिरिंग सेल से पृथक प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के परिवार न्यायालयों के लिये मॉनीटिरिंग सेल का गठन किया जाता है, जिसमें संबंधित जनपद के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहित जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होंगे।

(2) प्रत्येक माह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा उक्त समिति की बैठक विश्राम कक्ष/बैठक कक्ष में आयोजित की जायेगी।

(3) उक्त बैठक में परिवार न्यायालय से संबंधित बिन्दुओं एवं समस्याओं के संबंध में बेहतर समन्वय एवं सहयोग के लिए विचार-विमर्श किया जायेगा। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सात दिवस के अन्दर मा0 समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र दिनांक 29.01.2022 के संदर्भ में।
(2) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) गार्ड फाइल।

S. narayan
21.02.2022

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)
प्रमुख सचिव।

From,

Ashish Garg, HJS,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Through E-mail.

To,

All the District & Sessions Judges
All the Principal Judges Family Court,
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad.

C.L.No. 05 /Admin. 'G-II' Dated: 29.01.2022

Sub: For Constitution of District Monitoring Cell for Family Court.

Madam/Sir,

Hon'ble Court has been pleased to propose for constitution of a Monitoring Cell for Family Court in each district of the state. The said Monitoring Cell shall consist of the Principal Judge, Family Court, District Magistrate, SP/SSP and CMO of the district. Such Monitoring Cell Shall meet on monthly basis in the chamber/meeting hall of the judgeship to discuss issues and problems of the Family Courts for better coordination and cooperation. A brief minutes of the meeting shall be sent by the Principal Judge to the Committee within 7 days.

You are, therefore, requested to take necessary actions to ensure compliance of the above mentioned directions of Hon'ble Court in letter and spirit.

With regards

Yours faithfully,

29/1/2022

(Ashish Garg)

No. /Admin. 'G-II' Dated: Allahabad

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Chief Secretary, Government of U.P., Lucknow with the request to issue necessary directions to all the concerned for compliance of above mentioned directions of Hon'ble Court.
2. The Senior Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.
3. P.S. to all the Hon'ble Judges at Allahabad and also at Lucknow Bench, Lucknow for placing the same before their Lordships for kind perusal.
4. The Director, Judicial Training & Research Institute, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
5. All the Judicial officers posted in the Registry in Allahabad High Court and in Lucknow Bench, Lucknow.
6. The Member Secretary, U.P. State Legal Services Authority, III floor, Jawahar Bhawan, Annexe Lucknow.
7. Section Officer, Admin. 'H' Section for compilation of guard file.
8. Deputy Registrar, Cell for "Sensitization of Family Court Matters".

Registrar General